



कार्यालय ज्ञाप

(विश्वविद्यालय परिसर में सत्र 2024-25 प्रवेश हेतु सूचना)

(संशोधित)

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ कैंपस में संचालित पाठ्यक्रमों (एम.ए. हिन्दी / एम.ए. संस्कृत / एम.ए. अंग्रेजी / एम.ए. इतिहास / एम.ए. अर्थशास्त्र / एम.ए. राजनीति विज्ञान / एम.ए. समाजशास्त्र / एम.ए. मनोविज्ञान / एम. काम. / मास्टर इन जर्नलिज्म एवं मास कम्युनिकेशन / एम.ए. / एम.एस-सी. गणित / एम.ए. / एम.एस- सी. भूगोल / एम.एस- सी. इंटीग्रेटिव साइंस / एम.एस-सी. कंप्यूटर विज्ञान / एलएल.एम. / एम. ए. / एम. एस सी. गृह विज्ञान / एम. एस- सी. खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी / एम. एस-सी. (कृषि) कृषि अर्थशास्त्र / एप्लाइड आर्ट्स में मास्टर ऑफ विजुअल आर्ट (एम.वी.ए.) / आतिथ्य एवं पर्यटन प्रबंधन में मास्टर ऑफ वोकेशन (एचटीएम में एम.वोक.) / एम.एस-सी. रसायन विज्ञान / एम. एस-सी. भौतिक विज्ञान / एम. एस-सी. जंतु विज्ञान/ एम. एस- सी. वनस्पति विज्ञान एवं बी.बी.ए.) में सत्र 2024-25 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया निम्नलिखित विवरण के अनुसार प्रारंभ हो गयी है-

क्र.सं.	विवरण	प्रारम्भ	अंतिम
1	विश्वविद्यालय के स्नातक/परास्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन की तिथि	20.06.2024	18.07.2024
2	फॉर्म सुधार/शैक्षणिक योग्यता की पुनः प्रविष्टि	19.07.2024	21.07.2024
3	ऑनलाइन मेरिट सूची जारी करने की तिथि	24.07.2024
4	स्नातक/परास्नातक पाठ्यक्रमों में कॉउन्सलिंग (ऑफलाइन)/प्रवेश की तिथि	26.07.2024	29.07.2024
5	प्रतीक्षा सूची वाले अभ्यर्थियों के कॉउन्सलिंग (ऑफलाइन)/प्रवेश की तिथि	30.07.2024	31.07.2024
6	विश्वविद्यालय के समस्त पाठ्यक्रमों के अध्ययन-अध्यापन/कक्षारम्भ की तिथि	01.08.2024

इच्छुक छात्र/छात्राये विश्वविद्यालय की वेबसाईट <https://campusadmission.msdsuonline.in> के माध्यम से रु० 250/- जमा कर निर्धारित पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदन कर सकते हैं।

डॉ० (सिया राम शुक्ल)
समन्वयक (परिसर - प्रवेश)

(विशेश्वर प्रसाद)
कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. निजी सचिव, कुलपति माननीय कुलपति जी को सूचनार्थ।
2. वित्त अधिकारी, महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़।
3. श्री भूपेंद्र पाण्डेय, मीडिया प्रभारी, महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़।
4. एजेंसी को इस आशय से प्रेषित कि तद्संबंध में आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
5. स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों को इस आशय से प्रेषित कि जनहित में उक्त सूचना अपने समाचार पात्र में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

कुलसचिव 24.06.24